जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 302 प्रभात उदयपुर, बुधवार 03 सितम्बर, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

चीन, रुस नॉर्थ कोरिया व ईरान, एस.सी.ओ. के नये ''कोर ग्रुप'' के रुप में उभरा

भारत, इस नई व्यवस्था का महत्वपूर्ण सदस्य तो है, पर ''कोर ग्रुप'' से अलग सा भी है

- साहौर्द्र व मैत्री के सार्वजनिक इज़हार के बावजूद चीन व भारत के बीच कई भारी मतभेद भी हैं, जिनकी अनदेखी सदा के लिये नहीं की जा सकती।
- अतः अमेरिका व पश्चिमी देशों के समूह व चीन के नेतृत्व वाले एस.सी.ओ. संगठन के बीच भारत अकेला सा खड़ा है।
- कुछ ऐसी ही स्थिति रुस की है। जो, शीत युद्ध के ज़माने के ''सुपर पावर'' के गरिमापूर्ण पद से अब केवल चीन की ओर देखने वाला राष्ट्र हो गया है। जो चीन की ओर, धन, हथियार व स्पेयर पार्ट्स के लिये देखता है। रुस, ईरान का भी आभारी है, क्योंकि ईरान द्वारा भेजे गए आधुनिक ''ड्रोन्स'' की उसे बहुत आवश्यकता है, यूक्रेन के ''फायर पावर'' का मुकाबला करने के लिये। नॉर्थ कोरिया भी ''कोर ग्रुप'' का महत्वपूर्ण सदस्य इसलिए है, क्योंकि, उसने रुस की तरफ से लड़ने के लिये कोरिया से अपने सैनिक भेजे हैं।
- एक अजीबोगरीब बात यह भी है कि अमेरिका का प्रयास था, कि वह रुस को अलग-थलग कर देगा देशों की अन्तर्राष्ट्रीय पंचायत से। पर, उल्टा हो गया। अमेरिका, अलग-थलग पड़ गया है, और यूरोप व पश्चिमी देशों के बाड़े में कैद हो गया है, तथा रुस, कमज़ोर ही सही ''अन्य देशों'' की मंडली में आराम से बैठा है।

-अंजन रॉय-
-अमेरिका में राष्ट्रदूत के प्रतिनिधि-

वॉशिंगटन, 2 सितम्बर। शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) कभी ऐसा संगठन माना जाता था, जिसकी सालाना बैठकें होती तो थीं, लेकिन उनका कोई खास महत्व नहीं होता था। तथापि, इस बार चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन में हो रही बैठक पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है और यह ऐलान कर रही है कि एक नया वैश्विक ढांचा बन रहा है, और जो मिलकर एक ऐसी ताकत बनने जा रहा है जिसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल होगा। यह वैकल्पिक व्यवस्था, जो अब तक अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबदबे में थी, अब पूरी तरह चीन के इर्द-गिर्द घूम रही है। इससे साफ हो गया है कि चीन अब अमेरिका का असली मुकाबला करने वाली ताकत बन चुका है और यूरोप हाशिये पर चला गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो बीजिंग में एस.सी.ओ. बैठक में भाग ले रहे हैं, के लिए यह स्थिति बेहद दुखद है। वह एक तरह से चीन के अधीनस्थ दिखाई दे रहे हैं। रूस अब चीन पर निर्भर रहने वाला देश बनता जा रहा है।

राष्ट्रपति पुतिन ने जो सपना देखा था, रूस की ''शाही ताकत'' को फिर से पाने और अमेरिका को टक्कर देने वाली एकमात्र महाशक्ति बनने का, वह बिल्कुल उल्टा साबित हुआ है। अब रूस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अदालत के आदेश के बाद भी कर्मचारी के बकाया का भुगतान क्यों नहीं हुआ'

जयपुर, 2 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बकाया भुगतान नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि 11 सितंबर को याचिकाकर्ता को बकाया भुगतान करने का दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में पेश किया जाए। ऐसा

- हाई कोर्ट ने कहा 11 सितम्बर तक भुगतान करें या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से हाजिर हों।

नहीं करने पर अदालत ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और निदेशक को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश गुलाब सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर ने अदालत ने को बताया कि अदालती आदेश की पालना में वित्त विभाग से स्वीकृति लेकर याचिकाकर्ता को 1 अप्रैल, 1997 से सेवा में नियमितिकरण का लाभ दिया गया है। वहीं याचिकाकर्ता ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति ष

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चन्द्रबाबू नायडू के राजनीतिक जीवन के तीस साल पूरे होने पर जश्न का माहौल क्यों नहीं है एन.डी.ए. में?

भाजपा चौकन्नी है, क्योंकि एक तरफ तो बिहार चुनाव का ''टैंशन'' है, दूसरी ओर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के मौके पर दरारें उभर रही हैं, एन.डी.ए. में

- नायडू के करीबी सलाहकार सरकार द्वारा संसद में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त सांसदों, मंत्रियों की सदस्यता खत्म करने के सम्बंध में पेश विधेयक को भी संशय कि दृष्टि से देख रहे हैं, और प्रचारित कर रहे हैं की इस विधेयक को लाने का मुख्य ध्येय, चन्द्रबाबू नायडू के पर कतरना है।
- सांसदों में इस विधेयक को लेकर फैली बेचैनी के दौरान नायडू की भूमिका काफी ''निर्णायक'' हो जाती है और नायडू की, राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर उच्चतम पद की आशाएं जगाना कोई, असंभव बात नहीं है। अगर इस गफलत में नये राजनीतिक समीकरण बनते हैं तो चन्द्रबाबू नये ''कॉम्प्रोमाइज़'' उम्मीदवार बन सकते हैं, उच्चतम पद के लिये।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 सितम्बर। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सत्ता में अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं। यह एक ऐसा राजनीतिक मुकाम जिसने नई दिल्ली के सत्ता गलियारों में बेचैनी पैदा कर दी है। जहां टीडीपी इस अवसर पर जश्न मना रही है, वहीं राष्ट्रीय राजधानी में इसे राजनीतिक संकेतों के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में, जब मोदी सरकार आंतरिक असहमति और बाहरी चुनौतियों से जूझ रही है।

टीडीपी के जश्न की राजनीतिक टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केन्द्र सरकार जहां एक ओर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की कठिन चुनौती का सामना कर रही है, वहीं दूसरी ओर, उपराष्ट्रपति चुनाव भी अप्रत्याशित रूप से पेचीदा हो गया है। ऐसे माहौल में, नायडू की आक्रामक राजनीतिक मुद्रा ने उनके अगले कदम को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि वर्तमान उथल-पुथल की जड़ 130वां संविधान संशोधन विधेयक है, जिसे लोकप्रिय रूप से ''क्रेडिबिलिटी बिल'' बताया जा रहा है। टीडीपी सूत्रों के अनुसार, नायडू इस विधेयक से खुश नहीं हैं, और यह असंतोष पार्टी के सांसदों तक भी पहुंच चुका है। आंध्र प्रदेश के बहुत से लोग इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नायडू पर दबाव बनाने का साधन मान रहे हैं, ताकि उनकी स्वतंत्र राजनीतिक सोच को नियंत्रित किया जा सके।

नायडू के करीबी रणनीतिकारों ने संकेत दिए हैं कि टीडीपी प्रमुख वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता को एक दुर्लभ अवसर के रूप में देख रहे हैं। भाजपा के भीतर असंतोष और एनडीए में उभरी दरारें उभरने के बीच, गठबंधन समीकरणों में फेरबदल की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

टीडीपी के एक नजदीकी सूत्र ने नायडू की लम्बे समय से पोषित राष्ट्रीय

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से हमें हराने के लिए भाजपा की मदद की'

आप की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने प्रैस कान्फ्रैंस में कांग्रेस पर खुला आरोप लगाया

- उन्होंन कहा कांग्रेस ने आप को हराने के लिए आप के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपने दिग्गज नेता खड़े किए जैसे केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित, मनीष सिसोदिया के खिलाफ फरहाद सूरी, आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को मैदान में उतारा गया।
- आप ने दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के इंटरव्यू के आधार पर यह सनसनीखेज आरोप लगाया और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया।

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 2 सितम्बर। दिल्ली में भाजपा लम्बे समय से आम आदमी पार्टी (आप) की मुख्य प्रतिद्वन्द्वी रही है। लेकिन आप ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछले लगभग एक दशक से चुनावी रूप से हाशिये पर रही कांग्रेस को अपने निशाने पर ले लिया। इस राजनीतिक टकराव की जड़ दिल्ली नहीं, बल्कि पंजाब है, जो देश का ऐसा एकमात्र राज्य है, जहां फिलहाल आप की सरकार है।

आप ने कांग्रेस पर तीखा हमला दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के एक इंटरव्यू के बाद किया, जिसे आप के सोशल मीडिया हैंडल पर भी साझा किया गया। वीडियो में यादव यह कहते हुए सुने गए कि पार्टी ने आप को हराने के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका फायदा भाजपा को हुआ। यादव ने पार्टी की रणनीति का खुलासा करते हुए कहा, ''अगर आप को हराना है, तो मनीष सिसोदिया, और अरविंद केजरीवाल को हराना जरूरी है। इसमें हम कुछ हद तक सफल रहे हैं।'' जब उनसे पूछा गया कि अगर इसके चलते भाजपा को फायदा हुआ तो क्या वह स्वीकार्य होगा तो यादव ने जवाब दिया, ''सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में यह बात खड़गे जी और राहुल गांधी जी से हुई चर्चा में आई थी और हमने तय किया था कि हमें पूरी ताकत से लड़ना चाहिए।''

इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, आप की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे एक ''बड़ा रहस्योद्घाटन'' बताया तथा उन्होंने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आठ साल से भू-अभिलेख निरीक्षण पदोन्नति परीक्षा क्यों नहीं हुई?

जयपुर, 2 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के आठ साल बाद भी पटवारी के पद से भू-अभिलेख निरीक्षक पद पर प्रमोशन के लिए होने वाली विभागीय परीक्षा नहीं

- हाई कोर्ट ने रैवेन्यू बोर्ड के रजिस्ट्रार को 8 सितंबर को शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिये।

होने पर रैवेन्यु बोर्ड के रजिस्ट्रार से शपथ पत्र पेश करने को कहा है। अदालत ने 8 सितंबर तक को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि बोर्ड ने साल 2017 के आदेश और 7 मार्च 2019 को विज्ञापन जारी होने पर भी विभागीय पदोन्नति के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित क्यों नहीं करवाई। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश विवेक शर्मा की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता विजय दत्त शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने 26 जुलाई 2017 को सतीश सिंह बनाम ष

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील की जमानत याचिका खारिज की

ये दोनों 2020 के दिल्ली दंगों की साज़िश रचने के मुख्य आरोपी हैं

- दिल्ली पुलिस के वकील तुषार मेहता ने इस मामले में कहा कि उन्होंने साज़िश रचकर दंगा भड़काया था, देश की छवि खराब करने के लिए। बेहतर होगा कि बरी होने तक वे जेल में ही रहें।
- जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी के छात्र नेता उमर खालिद का जमानत पाने का यह छठा असफल प्रयास था।

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 2 सितम्बर। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को 2020 के दंगों की कथित साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिकाएं एक बार फिर खारिज कर दीं।

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की पीठ ने इस मामले से जुड़ी सभी अपीलों को खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली थी।

जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के लिए यह छठी बार था जब उन्हें जमानत नहीं मिल सकी। इससे पहले वे तीन बार सत्र न्यायालय, दो बार दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो चुकी है, और एक बार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें याचिका वापस लेनी पड़ी थी।

इस मामले में अन्य आरोपियों में अथर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं।।

उमर खालिद ने गत माह अपना 38वां जन्मदिन पिछले महीने तिहाड़ जेल में मनाया, जहां वे पिछले पांच वर्षों से बंद हैं।

जुलाई 2025 में हाई कोर्ट ने उमर और अन्य आरोपियों की वर्ष 2022, 2023 और 2024 में दायर ज़मानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब खारिज कर दिया गया है।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा था, अगर आप देश के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो जब तक आप बरी नहीं होते या दोषी नहीं ठहराए जाते, तब तक आपको जेल में रहना चाहिए। राजधानी में दंगे हुए, जिनमें 100 पुलिसकर्मी और 41 अन्य घायल हुए और एक पुलिसकर्मी की जान गई।

अभियोजन पक्ष ने ज़मानत का विरोध करते हुए कहा कि यह दंगे स्वतःस्फूर्त नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा थे, जिनका उद्देश्य समाज में विघटन और अराजकता फैलाना था।

उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। उन पर फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड होने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

अफगानिस्तान में 24 घंटे में ही दूसरा भूकंप

काबुल, 02 सितंबर। अफगानिस्तान में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मंगलवार को दक्षिण-पूर्वी हिस्से में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले अफगानिस्तान के जलालाबाद में रविवार रात 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था।

भूकंप से मरने वालों की संख्या

- भूकंप से अब तक 1411की मौत हो गई हैं और 3250 लोग घायल हो गए हैं। दूसरे भूकंप की तीव्रता 5.5 थी।

अब तक 1411 हो गई है, जबकि घायलों का आंकड़ा 3250 से ज्यादा हो गया है। रविवार को जिस वक्त भूकंप आया, तब ज्यादातर लोग सो रहे थे, इस वजह से वे इमारतों के मलबे में दब गए। मुताबिक तालिबान ने इसकी जानकारी दी है।

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दुनियाभर से मदद मांगी हैं। इसके बाद भारत ने मदद के लिए 1000 टेंट काबुल भेजे हैं। साथ ही, 15 टन खाने का सामान, काबुल से कुनार भेजा।

भारत की ओर से अफगानिस्तान के भूकंप प्रभावितों की सहायता के लिए भेजी गयी सहायता सामग्री मंगलवार को काबुल पहुंच गयी।

हवाई मार्ग से भेजी गयी सहायता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डॉ. दीपक मित्तल यूएई में भारत के राजदूत नियुक्त

नयी दिल्ली, 02 सितम्बर। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी डॉ. दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यहां बताया कि डा.मित्तल विदेश सेवा के 1998 बैच के अधिकारी हैं और उनके शीघ्र ही

- 1998 बैच के अफसर डॉ. मित्तल इससे पहले कतर में भारत के राजदूत थे।

कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है।

वह कतर में भारत के राजदूत रह चुके हैं। डॉ. मित्तल संजय सुधीर की जगह लेंगे जो अब तक संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत थे। वर्ष 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद उन्होंने भारत और तालिबान शासन के बीच औपचारिक संपर्क शुरू कराने में अहम भूमिका निभायी थी।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मेरे पास तमिनलाडु व केरल का ''चार्ट'' है, जब राज्यपाल ने कब -कब कितना विलम्ब किया, विधेयक को स्वीकार करने में'

अभिशेख मनु सिंघवी, के इन दावों के प्रत्युत्तर में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मेरे पास भी अन्य राज्यों का चार्ट है, जहां कब-कब राज्यपाल ने कितनी देरी लगाई अपने सहमति देने में

- मुख्य न्यायाधीश ने इस पर कहा, सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक मंच न बनाये, अपने राजनीतिक सोच को प्रकट करने के लिये।
- सुप्रीम कोर्ट में, राज्यपाल व राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक के बारे में अपना निर्णय देने के लिये समय निर्धारण का मामला था।
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि, किस राज्यपाल ने कितना विलम्ब किया, अपना निर्णय देने में, ऐसे चार्ट प्रस्तुत करना कोई सम्मानजनक बात नहीं है, यह मामला आखिरकार, राष्ट्रपति मुर्मू ने कानूनी स्थिति की व्याख्या करने के लिये सुप्रीम के सम्मुख भेजा है। पर अगर वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो भी तैयार हूँ।
- सिंघवी ने प्रत्युत्तर में कहा, ''मिस्टर मेहता धमकी नहीं चलेगी।''

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 2 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राज्यपाल की शक्तियों के मामले में उसका निर्णय इस पर निर्भर नहीं करेगा कि केंद्र या राज्य में कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में है।

अदालत राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए उस संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अप्रैल के फैसले पर सवाल उठाया गया है। इस फैसले में राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय-सीमा तय की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पीएस नरसिम्हा और अतुल एस चंदुरकर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत यह संदर्भ सुप्रीम कोर्ट को भेजा है।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बी आर गवइ ने कहा, हम इस मुद्दे पर निर्णय राजनीतिक परिस्थितियों या सत्ता में कौन है, या कौन था इस आधार पर नहीं करेंगे।

यह टिप्पणी उस समय आई जब वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी (तमिलनाडु राज्य की ओर से) और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (केंद्र सरकार की ओर से) राज्यपालों द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में देरी के मामलों पर आंकड़ों को लेकर बहस कर रहे थे।

सिंघवी ने कहा, मेरे पास तमिलनाडु और केरल के आंकड़े हैं, इस पर मेहता ने विरोध किया और कहा कि उनके पास अन्य राज्यों के आंकड़े भी हैं। उन्होंने कहा, अगर वह गंदे रास्ते पर जाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं भी तैयार हूं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। यह एक राष्ट्रपतीय संदर्भ है।

जवाब में सिंघवी ने कहा, धमकियों से कुछ नहीं होगा। सिंघवी ने यह भी कहा कि हो सकता है कि मेहता के पास अन्य राज्यों के भी ऐसे ही मामलों की सूची हो, जहां राज्यपालों ने मंजूरी में देरी की हो। इस पर मेहता ने जवाब दिया कि उनके पास 1947 से लेकर विवरण है कि संविधान के साथ कैसे खिलवाड़ हुआ। इस पर गवई ने स्पष्ट किया,1947 में अनुच्छेद 200 और 201 अस्तित्व में नहीं थे। मेहता ने कहा कि उनका मतलब संविधान के अस्तित्व में आने के समय से था।

गवई ने यह भी कहा, हम नहीं चाहते कि यह मंच राजनीतिक बहस का अड्डा बने।

यह राष्ट्रपतीय संदर्भ सुप्रीम कोर्ट के 11 अप्रैल के फैसले के बाद आया है, जिसमें तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल केस में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा था कि राज्यपालों को विधेयकों पर उचित समय के भीतर निर्णय लेना होगा और संवैधानिक मौन का उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा था कि यद्दिप अनुच्छेद 200 किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं करता, फिर भी इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक निर्णय लेने से बचते रहें।